न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं. 21/रेगूलर/2025 (GCMS No. 2025/108)	04.08.2025	11.08.2025

सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक
जिला रसद कार्यालय, तालेडा।

– प्रार्थी

बनाम

श्री ललित कुमार जैन आ. हनुमान जैन
उचित मूल्य दुकानदार, रजलावता–I
तहसील नैनवा, जिला बून्दी।

– अप्रार्थी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से पेरोकार रसद।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 न्यायालय में प्रस्तुत कर जब्तशुदा कुल 1302 किलोग्राम गेहूँ एवं 300 लीटर नीला केरोसीन के निस्तारण हेतु निवेदन किया है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) बून्दी से क्षेत्राधिकार अनुसार प्रार्थना पत्र हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर पंजिका क्रमांक 21/2025 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2025/110 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी दिनांक 12.03.2019 को स्वयं उपस्थित न्यायालय आया, किन्तु आगामी नियत पेशी पर अप्रार्थी के इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से दिनांक 13.05.2019 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस एकपक्षीय सुनी गयी ।

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि श्री ललित कुमार जैन आ. हनुमान जैन एफपीएस रजलावता–I की उचित मूल्य दुकान श्रीमान एसडीएम साहब नैनवां द्वारा दिनांक 02.03.2017 को नायब तहसीलदार साहब द्वारा स्टॉक अधिशेष पाये जाने पर सीलबन्द की गई थी। प्रार्थी दिनांक 17.03.2017 को जिला रसद अधिकारी बून्दी के आदेश की पालना में श्री ललित कुमार जैन आ. हनुमान जैन एफपीएस रजलावता–I की दुकान पर श्रीमान एसडीएम साहब नैनवां के साथ पहुँचे। उक्त दुकान यथास्थिति सीलबन्द पाई गई। उक्त सीलबन्द दुकान का ताला खुलवाकर जांच की गई। मांगे जाने पर एफपीएस दुकानदार ललित जैन द्वारा लाईसेन्स संख्या 580/95 प्रस्तुत किया गया। जांच के दौरान गेहूं के स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 1302 किलोग्राम गेहूं दुकान पर पाया गया, जो स्टॉक रजिस्टर अनुसार दिनांक 28.02.2017 को गेहू के शेष स्टॉक 965 किलोग्राम से 337 किलोग्राम अधिक पाया गया। इसी प्रकार जांच में केरोसीन का भौतिक सत्यान किये जाने पर 300 लीटर नीला केरोसीन पाया गया, जो स्टॉक रजिस्टर अनुसार माह फरवरी, 2017 में वितरण से शेष 260 लीटर से 40 लीटर नीला केरोसीन अधिक पाया गया। मौके पर उपस्थित शिकायतकर्ताओं के बयान लिये गये। जिसके अनुसार कुछ उपभोक्ताओं का ऑनलाईन पोस मशीन से ट्रांजेक्शन किया गया है जबकि उन्हे गेहू नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में अवैध रूप से भण्डारित 1302 किलोग्राम गेहूं एवं 300 लीटर नीला केरोसीन जब्त सरकार किया गया तथा मौके पर बुलाये गये उचित मूल्य दुकानदार श्री हनुमान लाल जैन आ. हजारीलाल को संलग्न फर्द सुपुर्दगीनामे के अनुसार संभलाया गया। अतः जब्तशुदा 1302 किलोग्राम गेहूं एवं 300 लीटर नीला केरोसीन को राजसात करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया, जिससे ज्ञात हुआ है कि दिनांक 17.03.2017 को जिला रसद अधिकारी बून्दी के नेतृत्व में रसद विभाग की टीम द्वारा उचित मूल्य दुकान, रजलावता–I (तहसील नैनवां) जो दिनांक 02.03.2017 को उपखण्ड अधिकारी नैनवां द्वारा सीलबन्द कर दी गई थी, उक्त दुकान की रूबरू मौतबिरान जांच की गई। जिसमें स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्री की मात्रा से मौके पर भौतिक सत्यापन के दौरान उपलब्ध मात्रा अधिशेष पायी गयी। श्री ललित कुमार जैन की उक्त दुकान में शेष स्टॉक 965 किलोग्राम से अधिक 337 किलोग्राम अधिक गेहूं एवं वितरण से शेष 260 लीटर से अधिक 40 लीटर नीला केरोसीन अवैध रूप से रखा पाया गया। ऐसे में अवैध रूप से भण्डारित 1302 किलोग्राम गेहूं एवं 300 लीटर नीला केरोसीन को जब्त कर उचित मूल्य दुकानदार श्री हनुमान लाल जैन को सुपुर्द किया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बून्दी

यहां उल्लेखनीय है कि प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र में अंकित आक्षेपों के संबंध में अपना पक्ष रखने के लिए जर्ये नोटिस तलब किया गया था। अप्रार्थी दिनांक 12.03.2019 को नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित आया किन्तु अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश नहीं किया जाकर जवाब हेतु अवसर चाहा गया। इसके बाद आगामी नियत पेशी पर अप्रार्थी न तो असालतन और न ही वकालतन उपस्थित न्यायालय आया और न ही उसकी ओर से जवाब पेश किया गया। गेहूं व नीला केरोसीन आवश्यक वस्तु होने से उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राशनकार्ड धारकों को अनुदानित दर पर निर्धारत मात्रा में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वितरित किया जाकर स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान पर स्टॉक रजिस्टर में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा में गेहू एवं केरोसीन का मिलना, उक्त सामग्री को समय पर उपभोक्ताओं को वितरण न करके उचित मूल्य से अधिक दर पर अन्यत्र बेचने की संभावना एवं कालाबाजारी को इंगित करता है। अप्रार्थी के उक्त कृत्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी आदेश राजस्थान खाद्वान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्ध ओर अधिक कीमत नियतन) आदेश 1993 तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के प्रावधानों का उल्लंधन हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा स्टॉक से अधिक मात्रा में गेहूं व नीला केरोसीन का अवैध रूप से भण्डारण का कार्य करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर जप्तशुदा 337 किलोग्राम गेहूं एवं 40 लीटर नीला केरोसीन को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बून्दी को आदेशित किया जाता है कि वह जप्तशुदा 337 किलोग्राम गेहूं एवं 40 लीटर नीला केरोसीन को नियमानुसार उचित माध्यम से विक्रय करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवावें। उक्तानुसार तत्काल पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 11.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट बून्दी

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट